RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक २४] गुरुवार ते बुधवार, जुलै २०-२६, २०१७/आषाढ २९-श्रावण ४, शके १९३९ [पृष्ठे ३७

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०, सन् २०१६.— महाराष्ट्र अधिधृति तथा कृषि भूमि, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषिभूमि (विदर्भ क्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, सन् २०१६.— महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिती (संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२, सन् २०१६.— महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१६ . .	९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, सन् २०१६.— मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	११
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, सन् २०१६.— महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१६. . .	१३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५, सन् २०१६.— महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६. . .	३७

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2016.

THE MAHARASHTRA TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS, THE HYDERABAD TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS AND THE MAHARASHTRA TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS (VIDARBHA REGION) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ मई, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS ACT, THE HYDERABAD TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS ACT, 1950 AND THE MAHARASHTRA TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS (VIDARBHA REGION) ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक ७ मई, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि अधिनियम, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि अधिनियम, १९५० और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि अधिनियम (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि अधिनियम, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि अधिनियम, १९५० और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

सन् १९४८ का ६७।
सन् १९५० का हैद्रा. अधि. क्र. २१।
सन् १९५८ का ९९।

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

अध्याय दो

हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४८ का ६७ की धारा ८४ग में संशोधन।

२. महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " महाराष्ट्र अभिधृति अधिनियम " कहा गया है) की धारा ८४ग की उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :— सन् १९४८ का ६७।

" (६) उप-धाराएँ (१) से (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी भूमि का अंतरण या अर्जन, मामलतदार द्वारा अविधिमान्य घोषित नहीं किया जायेगा, यदि, —

(एक) ऐसी भूमि के अंतरण या अर्जन के संबंध में, उप-धारा (१) के अधीन कार्यवाहियाँ, महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, इस उप-धारा और उप-धारा (७) में, " प्रारंभण दिनांक " कहा गया है) के प्रारंभण दिनांक के पश्चात् शुरु की है, या प्रारम्भण दिनांक से पूर्व शुरु की गई थी, परंतु उप-धारा (२) के अधीन कोई आदेश, प्रारंभण दिनांक से पूर्व नहीं बनाया गया ; तथा

सन् २०१६ का महा. २०।

(दो) अन्य भूमि समेत भूमि का क्षेत्र, यदि किन्ही, अंतरिती द्वारा धारण किया गया हो, जो एक कृषक है, महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक न हो ; तथा

सन् १९६१ का महा. २७।

(तीन) इस प्रकार अंतरित या अर्जित भूमि,—

(क) केवल कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रहीं है, तथा अंतरिती (किरायेदार से अन्य) दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा ; या

(ख) कृषक से अन्य उपयोग के लिये रखी गई है, तथा अंतरिती, दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये, " दरों का वार्षिक विवरण " पद का तात्पर्य, मुंबई स्टाम्प (संपत्ति के सही बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, १९९५ के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों का वार्षिक विवरण, विद्यमान वर्ष के संबंध में, जिसमें अंतरिती, इस खण्ड के उप-खण्ड (क) या, यथास्थिति, (ख) के अनुसार रकम अदा करता है, से है।"।

३. महाराष्ट्र अभिधृति अधिनियम की धारा ८४ग ग की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

सन् १९४८ का ६७ की धारा ८४ग ग में संशोधन।

" (४) उप-धाराएँ (१) से (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी भूमि का अंतरण जहाँ धारा ६३ की उप-धारा (१) के अधीन अंतरिती ने आवश्यकताएँ पूरी की है, कलक्टर द्वारा अविधिमान्य घोषित नहीं किया जायेगा, यदि, —

(एक) उप-धारा (१) के अधीन कार्यवाहियाँ, महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, इस उप-धारा में, " प्रारंभण दिनांक " कहा गया है) के प्रारंभण दिनांक के पश्चात् शुरु की है या ऐसी कार्यवाहियाँ, प्रारंभण दिनांक के पूर्व शुरु की गई थी, परंतु उप-धारा (१) के अधीन कोई आदेश, धारा ६३ के अधीन मंजूर की गई भूमि के अंतरण की अनुज्ञा के अध्यधीन, शर्त के भंग के लिये प्रारंभण दिनांक को या के पूर्व नहीं बनाया गया था ; तथा

सन् २०१६ का महा. २०।

(दो) (क) इस प्रकार अंतरित भूमि, केवल कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रहीं हैं, तथा अंतरिती (किरायेदार से अन्य) दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा ; या

(ख) इस प्रकार अंतरित भूमि कृषक से अन्य किसी प्रयोजन के लिये उपयोग के लिये रखी गई है, तथा अंतरिती, दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा ;

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये, " दरों का वार्षिक विवरण " पद का तात्पर्य, मुंबई स्टाम्प (संपत्ति के सही बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, १९९५ के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों का वार्षिक विवरण, विद्यमान वर्ष के संबंध में, जिसमें अंतरिती, इस खण्ड के उप-खण्ड (क) या, यथास्थिति, (ख) के अनुसार रकम अदा करता है, से है । "।

अध्याय तीन

हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि अधिनियम, १९५० में संशोधन ।

सन् १९५० का हैद्रा. अधि. क्र. २१ धारा ९८ग में संशोधन।।

४. हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " हैद्राबाद अभिधृति अधिनियम " कहाँ गया है) की धारा ९८ग की, उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्न उपधाराएँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :— सन् १९५० का हैद्रा. अधि. क्र. २१।

" (६) उप-धाराएँ (१) से (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी भूमि के अन्यसंक्रामण, अंतरण या अर्जन, तहसीलदार द्वारा अविधिमान्य घोषित नहीं किया जायेगा, यदि, —

(एक) ऐसी भूमि के अंतरण या अर्जन के संबंध में, उप-धारा (१) के अधीन कार्यवाहियाँ, महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे इस उप-धारा में, " प्रारंभण दिनांक " कहाँ गया है) के प्रारंभण दिनांक के पश्चात् शुरु की है या प्रारंभण दिनांक के पूर्व शुरु की गई थी, परंतु उप-धारा (२) के अधीन कोई आदेश, प्रारंभण दिनांक से पूर्व नहीं बनाया गया था ; तथा सन् २०१६ का महा. २०।

(दो) अन्य भूमि समेत भूमि का क्षेत्र, यदि किन्ही, अंतरिती द्वारा धारण किया गया हो, जो एक कृषक है, महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक न हो ; तथा सन् १९६१ का महा. २७।

(तीन) इस प्रकार अन्यसंक्रामित अंतरित या अर्जित भूमि,—

(क) केवल कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रहीं है, तथा अंतरिती (किरायेदार से अन्य) दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा ; या

(ख) कृषक से अन्य उपयोग के लिये रखी गई है तथा अंतरिती, दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये, " दरों का वार्षिक विवरण " पद का तात्पर्य, मुंबई स्टाम्प (संपत्ति के सही बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, १९९५ के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों का वार्षिक विवरण, विद्यमान वर्ष के संबंध में, जिसमें अंतरिती, इस खण्ड के उप-खण्ड (क) या, यथास्थिति, (ख) के अनुसार रकम अदा करता है, से है । "।

सन् १९५० का हैद्रा. अधि. क्र. २१ की धारा ९८ग-२ में संशोधन।

५. हैद्राबाद अभिधृति अधिनियम की धारा ९८ग-२ की उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

" (४क) उप-धाराएँ (१) से (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी भूमि का अंतरण जहाँ, धारा ४७ की उप-धारा (१) के अधीन अंतरिती ने आवश्यकताएँ पूरी की है, कलक्टर द्वारा अविधिमान्य घोषित नहीं किया जायेगा, और यदि, —

(एक) उप-धारा (१) के अधीन कार्यवाहियाँ, महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे इस उप-धारा में, " प्रारंभण दिनांक " कहा गया है) के प्रारंभण दिनांक के पश्चात्, शुरु की है या ऐसी कार्यवाहियाँ, प्रारंभण दिनांक के पूर्व शुरु की गई थी, परंतु

उप-धारा (२) के अधीन कोई आदेश, धारा ४७ के अधीन मंजूर की गई भूमि के स्थायी अन्यसंक्रामण, पट्टे या बंधक की अनुज्ञा के अध्यधीन, किसी भी शर्त के भंग के लिये प्रारंभण दिनांक को या के पूर्व नहीं बनाया गया था ; तथा

(दो) (क) इस प्रकार अंतरित भूमि केवल कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रहीं है, तथा अंतरिती (किरायेदार से अन्य) इस प्रकार अंतरित दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा ; या

(ख) इस प्रकार अंतरित भूमि कृषक से अन्य किसी प्रयोजन के लिये उपयोग के लिये रखी गई है, तथा अंतरिती, दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये, " दरों का वार्षिक विवरण " निबंधन का तात्पर्य, मुंबई स्टाम्प (संपत्ति के सही बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, १९९५ के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों का वार्षिक विवरण, विद्यमान वर्ष के संबंध में, जिसमें अंतरिती, इस खण्ड के उप-खण्ड (क) या, यथास्थिति, (ख) के अनुसार रकम अदा करता है, से है।"।

अध्याय चार

महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५८ का ९९। **६.** महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में " विदर्भ क्षेत्र अभिधृति अधिनियम " कहा गया है), की धारा १२२, की उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :— सन् १९५८ का ९९ की धारा १२२ में संशोधन।

" (६) उप-धारा (१) से (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि का अंतरण या अर्जन, तहसीलदार द्वारा अविधिमान्य घोषित नहीं किया जायेगा, यदि,—

(एक) ऐसी भूमि के अंतरण या अर्जन के संबंध में उप-धारा (१) के अधीन कार्यवाहियाँ, महाराष्ट्र अभिधृति कृषि भूमि, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे इस उप-धारा में, " प्रारंभण दिनांक " कहा गया है), के प्रारंभण के दिनांक के पश्चात् शुरू की गई है या प्रारंभण दिनांक से पूर्व शुरु की गई थी, परंतु उप-धारा (२) के अधीन कोई आदेश, प्रारंभण दिनांक के पूर्व नहीं बनाया गया था ; तथा

सन् २०१६ का महा. २०।

(दो) अन्य भूमि का क्षेत्र, यदि किन्ही अंतरिती द्वारा धारण किया गया हो, जो एक कृषक है, महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक न हो ; तथा

सन् १९६१ का महा. २७।

(तीन) इस प्रकार अंतरित या अर्जित भूमि,—

(क) केवल कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही है, तथा अंतरिती (किरायेदार से अन्य) दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा ; या

(ख) कृषक से अन्य उपयोग के लिए रखी गई है, तथा अंतरिती, दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए " दरों का वार्षिक विवरण " निबंधन का तात्पर्य, मुंबई स्टाम्प (संपत्ति के सही बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, १९९५ के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों का वार्षिक विवरण, विद्यमान वर्ष के संबंध में जिसमें अंतरिती, इस खण्ड के उप-खंड (क) या, यथास्थिति, (ख) के अनुसार रकम अदा करता है, से है। "।

सन् १९५८ का ९९ की धारा १२२क का संशोधन।

७. विदर्भ क्षेत्र अभिधृति अधिनियम की धारा १२२क में उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्,–

" (४) उप-धारा (१) से (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि का अंतरण, जहाँ धारा ८९ की उप-धारा (१) के अधीन अंतरिती ने आवश्यकताएँ पूरी की है, कलक्टर द्वारा अविधिमान्य घोषित नहीं किया जायेगा, यदि,—

(एक) उप-धारा (१) के अधीन कार्यवाहियाँ, महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषिभूमि, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषि भूमि, और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, इस उप-धारा में, " प्रारंभण दिनांक " कहा गया है), के प्रारंभण के दिनांक के पश्चात् शुरु की गई है या ऐसी कार्यवाहियाँ, प्रारंभण दिनांक के पूर्व शुरु की गई थी, परंतु उक्त उप-धारा (१) के अधीन कोई आदेश धारा ८९ के अधीन मंजूर भूमि के अंतरण की अनुमति के अध्यधीन किसी शर्तों का भंग करने के लिए नहीं बनाया गया था ; और सन् २०१६ का महा. २०।

(दो) (क) इस प्रकार अंतरित भूमि केवल कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही है तथा अंतरिती (किरायेदार से अन्य) दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा ; या

(ख) कृषक से अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग के लिये रखी गई है तथा, अंतरिती, दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार, ऐसी भूमी के बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत के समान रकम अदा करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये, " दरों का वार्षिक विवरण " निबंधन का तात्पर्य, मुंबई स्टाम्प (संपत्ति के सही बाजार मूल्य का निर्धारण) नियम, १९९५ के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों का वार्षिक विवरण, विद्यमान वर्ष के संबंध में जिसमें अंतरिती, इस खण्ड के उप-खंड (क) या, यथास्थिति, (ख) के अनुसार रकम अदा करता है, से है।"।

अध्याय पाँच

विविध

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

८. (१) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषिभूमि अधिनियम, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषिभूमि अधिनियम, १९५० और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषिभूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : सन् १९५० का महा. ६। सन् १९५० का महा २१ ।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के बाद, ऐसा कोई आदेश बनाया नहीं जायेगा । सन् १९५० का महा. ५ ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के बाद, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2016.

THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ मई, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
सचिव, (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक ७ मई, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनिमय।

सन् १९६२ का ५।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए ।

सन् १९६२ का ५ की धारा १२ क में संशोधन।

सन् १९६२ का ५।

२. महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १२क में, निम्नलिखित परंतुक,जोडे जाएँगे, अर्थात् :—

" परंतु, आम या उप-चुनावों के लिए, जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार, नामांकन दाखिल करने के दिनांक ३१ दिसंबर २०१७ को या के पूर्व कोई व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, किंतु जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) वैधता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु आगे यह कि, यदि कोई व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सदस्य होने से निरर्ह हो जाएगा।"।

सन् १९६२ का ५ की धारा ४२ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४२ की, उप-धारा (६क) में निम्न परंतुक, जोडे जाएँगे, अर्थात् :—

" परंतु, घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसरण में, **सभापति** पद के लिए निर्वाचनों जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक ३१ दिसंबर २०१७ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, किंतु नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु आगे यह कि, यदि कोई व्यक्ति, जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सभापति होने से निरर्ह हो जाएगा।"।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ६७ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ६७ की, उप-धारा (७क) में, निम्न परंतुक, जोड़े जाएँगे, अर्थात् :—

" परंतु, घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसरण में, **अध्यक्ष** पद के लिए निर्वाचनों जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक ३१ दिसंबर २०१७ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, किंतु नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु आगे यह कि, यदि कोई व्यक्ति, जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह अध्यक्ष होने से निरर्ह हो जाएगा।"।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2016.

THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २६ जुलाई, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES ACT, 1994.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २७ जुलाई, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, २७ जून २०१६ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९९४ का महा. ३५।
सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १४ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह २७ जून २०१६ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

सन् १९९४ का महा. ३५ की धारा ८२ में संशोधन ।

सन् १९९४ का महा. ३५।

२. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ८२ की, उप-धारा (५ग) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (५घ) उप-धारा (४) तथा उप-धारा (५) के द्वितीय परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अकादमिक वर्ष २०१६-२०१७ के लिए, १ मई के पश्चात्, परंतु, २७ जुलाई २०१६ के पूर्व विश्वविद्यालय से प्राप्त सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकार से ऐसी मंजूरी, ५ अगस्त २०१६ को या के पूर्व विश्वविद्यालय को संसूचित की जायेगी और उसी अकादमिक वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा प्रभावी की जायेगी । " ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १४ का निरसन और व्यावृत्ति ।

३. (१) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१६ का महा. अध्या क्र. १४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2016.

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION AND MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, *NAGAR PANCHAYATS* AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २७ जुलाई, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, *NAGAR PANCHAYATS* AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक २९ जुलाई, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् १८८८ का ३। सन् १९६५ का महा. ४०।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में, अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन

सन् १८८८ का ३।

सन् १८८८ का ३ की धारा ३९० में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मुंबई निगम अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३९० की उप-धारा (१) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, कोई ऐसी अनुमति, निगम की अधिकारिता क्षेत्र के भीतर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में कारखानों, कार्य-शाला या कार्यस्थल के संबंध में आवश्यक नहीं होगी । " ।

सन् १८८८ का ३ की धारा ३९३ में संशोधन।

३. मुंबई निगम अधिनियम की धारा ३९३ की, उप-धारा (१) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, इस उप-धारा के अधीन, आयुक्त की कोई ऐसी अनुमति, निगम की अधिकारिता क्षेत्र के भीतर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में यदि ऐसा कारखाना या कोई अन्य स्थल स्थित है, तो आवश्यक नहीं होगी । " ।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा २७८ में संशोधन।

४. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा २७८ की, उप-धारा (१) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४०।

" परंतु, इस उप-धारा के अधीन ऐसी कोई अनुज्ञप्ति, परिषद की अधिकारिता क्षेत्र के भीतर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में, यदि ऐसा कारखाना, कार्य-शाला या कारोबार का स्थान स्थित हो तो, आवश्यक नहीं होगी । " ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2016.

THE MAHARASHTRA (SECOND SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३ अगस्त, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव, (विधि विधान)
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2016.

AN ACT TO AUTHORISE PAYAMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICE OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2017.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक ४ अगस्त, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

TO AUTHORISE PAYAMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2017.

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१७ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१७ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१६ कहलाए।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के लिये, १ खरब, ३० अरब, ३२ करोड़, २१ लाख, १५ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बन्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर एक खरब, तीस अरब, बत्तीस करोड़, इक्कीस लाख, पंद्रह हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०१७ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष में होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग। **३.** इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१७ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
				विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क-राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-१	राज्यपाल और मंत्रि परिषद ।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक । २०१३, मंत्रि परिषद। २०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य।		. . .	६०,०८,०००	६०,०८,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	३०,४५,५१,०००	. . .	३०,४५,५१,०००
ए-६	सूचना और प्रचार ।	२२२०, सूचना और प्रचार ।		३,५०,००,०००	. . .	३,५०,००,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग ।	. .	३३,९५,५१,०००	६०,०८,०००	३४,५५,५९,०००
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	४,८५,४२,७७,०००	. . .	४,८५,४२,७७,०००
बी-२	राज्य उत्पाद-शुल्क।	२०३९, राज्य उत्पाद-शुल्क।	. .	४,१७,४४,०००	. . .	४,१७,४४,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	. .	७०,५३,०००	. . .	७०,५३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		गृह विभाग—जारी				
बी-५	जेल।	२०५६, जेल ।	. .	१,७३,१६,०००	. . .	१,७३,१६,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ।	३००१, भारतीय रेल—पालिसी सूत्रीकरण, निदेशन, अनुसंधान और अन्य विविध संघठन। ३०५१, पत्तन और दीपस्तंभ।	. .	५,०३,९२,००,०००	. . .	५,०३,९२,००,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	९,९५,९५,९०,०००	. . .	९,९५,९५,९०,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन।	२०२९, भू-राजस्व । २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५३, जिला प्रशासन । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।	. .	१,१०,६१,०००	. . .	१,१०,६१,०००
सी-२	स्टाम्प और पंजीकरण।	२०३०, स्टाम्प और पंजीकरण।	. .	. . .	३६,६६,०००	३६,६६,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगर विकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	. .	१०,००,००,०००	. . .	१०,००,००,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत।	. .	१८,०१,४०,०००	. . .	१८,०१,४०,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाडी क्षेत्र।	. .	२,२३,७८,७४,०००	. . .	२,२३,७८,७४,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	२,५२,९०,७५,०००	३६,६६,०००	२,५३,२७,४१,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१,कृषिकर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	. .	१३,४०,२०,०७,०००	. . .	१३,४०,२०,०७,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	. .	६८,०८,०००	. . .	६८,०८,०००
डी-६	मत्स्योद्योग।	२४०५, मत्स्योद्योग।	. .	३,४४,५०,०००	. . .	३,४४,५०,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्योद्योग विभाग।	. .	१३,४४,३२,६५,०००	. . .	१३,४४,३२,६५,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग

इ-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	१०,५०,६१,०५,०००	. . .	१०,५०,६१,०५,०००
इ-३	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २२५१, सचिवालय, सामाजिक सेवाएँ ।	. .	४,००,०१,०००	. . .	४,००,०१,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	. .	१०,५४,६१,०६,०००	. . .	१०,५४,६१,०६,०००

नगर विकास विभाग

एफ-२	नगर विकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगर विकास। ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	३३,००,०२,०००	. . .	३३,००,०२,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	३२,८६,०००	. . . .	३२,८६,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	३३,३२,८८,०००	. . .	३३,३२,८८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		वित्त विभाग				
जी-४	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	. .	९९,००,०००	. . . .	९९,००,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	. .	३,६०,६१,०००	. . .	३,६०,६१,०००
जी-६	पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	२०७१, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	. .	६,५८,७४,०००	. . .	६,५८,७४,०००
		कुल—वित्त विभाग।	. .	११,१८,३५,०००	. . .	११,१८,३५,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-३	आवास।	२२१६, आवास।	. .	१,०५,००,०००	. . . .	१,०५,००,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	३८,०५,६७,०००	. . .	३८,०५,६७,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।		२,१०,००,०००	. . .	२,१०,००,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	४१,२०,६७,०००	. . .	४१,२०,६७,०००
		जलस्रोत विभाग				
आय-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . . .	५९,०४,०००	५९,०४,०००
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान	. .	५५,११,१५,०००	. . . .	५५,११,१५,०००
आय-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	७,०००	. . . .	७,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	५५,११,२२,०००	५९,०४,०००	५५,७०,२६,०००

	विधि तथा न्याय विभाग				
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	१५,७०,७६,०००	९,८०,२८,०००	२५,५१,०४,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	२०,०५,७९,०००	. . .	२०,०५,७९,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	३५,७६,५५,०००	९,८०,२८,०००	४५,५६,८३,०००
	उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	१६,२१,३८,०००	. . .	१६,२१,३८,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।	१७,४०,०१,०००	. . .	१७,४०,०१,०००
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	७७,३६,००,०००	. . .	७७,३६,००,०००
के-८	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	१०,१३,७२,०००	. . . .	१०,१३,७२,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	१,२१,११,११,०००	. . .	१,२१,११,११,०००
	ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग				
एल-२	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	२,४०,००,००,०००	. . .	२,४०,००,००,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। ३०५४, सड़क तथा पुल।	३,९१,४७,००,०००	. . .	३,९१,४७,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग—जारी				
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	३३,५६,००,०००	. . .	३३,५६,००,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	. .	६,६५,०३,००,०००	. . .	६,६५,०३,००,०००
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	१७,५३,०५,०००	. . . .	१७,५३,०५,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	१७,५३,०५,०००	. . .	१७,५३,०५,०००
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	३९,१३,०३,०००	. . .	३९,१३,०३,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	३९,१३,०३,०००	. . .	३९,१३,०३,०००
		योजना विभाग				
ओ-३	ग्राम नियोजन।	२५०५, ग्राम नियोजन।	. .	२५,००,०००	. . .	२५,००,०००
ओ-६	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	३४२५, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	. .	१,००,००,००,०००	. . . .	१,००,००,००,०००
ओ-७	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	२०,००,००,०००	. . .	२०,००,००,०००
ओ-८	पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।	. .	१८,००,०००	. . . .	१८,००,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	. .	७,०७,९५,०००	. . .	७,०७,९५,०००

ओ-२५	जिला योजना - नासिक।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, ऊर्जा नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-२६	जिला योजना -धुलिया।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	२,०००	. . .	२,०००

ओ-२८	जिला योजना -अहमदनगर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	३,०००	. . .	३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२९	जिला योजना -नंदुरबार।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	४,०००	. . .	४,०००

ओ-४१ जिला योजना -चंद्रपुर।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	३,०००	. . .	३,०००
	कुल—योजना विभाग।	. .	१,२७,५१,०८,०००	. . .	१,२७,५१,०८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		आवास विभाग				
क्यू-३	आवास।	. . २२१६, आवास। २२१७, नगर विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१७,५०,३६,०२,०००	. . . .	१७,५०,३६,०२,०००
		कुल—आवास विभाग।	. .	१७,५०,३६,०२,०००	. . .	१७,५०,३६,०२,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. . २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१४,६६,४५,७१,०००	. . .	१४,६६,४५,७१,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	१४,६६,४५,७१,०००	. . .	१४,६६,४५,७१,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. . २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. .	१,२२,५५,८२,०००	. . .	१,२२,५५,८२,०००
एस-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ	. . २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	९,००,०००	. . .	९,००,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	. .	१,२२,६४,८२,०००	. . .	१,२२,६४,८२,०००
		जनजाति विकास विभाग				
		२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास।				

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्यजीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । २८५२, उद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५५, सड़क परिवहन।	. .	७८,१८,७४,०००	. . . .	७८,१८,७४,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	७८,१८,७४,०००	. . .	७८,१८,७४,०००
		पर्यावरण विभाग				
यू-४	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।	३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।	. .	२०,००,००,०००	. . .	२०,००,००,०००
		कुल—पर्यावरण विभाग ।	. .	२०,००,००,०००	. . .	२०,००,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-२	सहकारिता।	. . २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	७,८५,३६,४९,०००	३,३२,०००	७,८५,३९,८१,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	७,८५,३६,४९,०००	३,३२,०००	७,८५,३९,८१,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	. . २२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	१,७९,७३,७९,०००	. . .	१,७९,७३,७९,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	. . २२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	३,५२,९७,७७,०००	. . .	३,५२,९७,७७,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	. .	५,३२,७१,५६,०००	. . .	५,३२,७१,५६,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण।	. .	११,९४,८१,९५,०००	. . .	११,९४,८१,९५,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	. .	११,९४,८१,९५,०००	. . .	११,९४,८१,९५,०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. . २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. .	५,२४,७०,००,०००	. . .	५,२४,७०,००,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	५,२४,७०,००,०००	. . .	५,२४,७०,००,०००

कुशलता विकास तथा उद्यमशीलता विभाग

जेड-क-१	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	३२,५८,०२,०००	. . .	३२,५८,०२,०००
		कुल—कुशलता विकास तथा उद्यमशीलता विभाग।	. .	३२,५८,०२,०००	. . .	३२,५८,०२,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	. .	३,५०,००,०००	. . .	३,५०,००,०००
		कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	. .	३,५०,००,०००	. . .	३,५०,००,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-१	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ ।	. .	४,५०,०००	. . .	४,५०,०००
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	. .	१०,२५,००,०००	. . .	१०,२५,००,०००
जेड घ-४	पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।	. .	४२,००,०३,०००	. . .	४२,००,०३,०००
		कुल—पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	५२,२९,५३,०००	. . .	५२,२९,५३,०००
		कुल—क–राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	१,१३,९२,२९,६५,०००	११,३९,३८,०००	१,१४,०३,६९,०३,०००

ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५५, सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।		२,१८,६८,०००	. . .	२,१८,६८,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	२,१८,६८,०००	. . .	२,१८,६८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।	. .	५९,७०,००,०००	. . .	५९,७०,००,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	५९,७०,००,०००	. . .	५९,७०,००,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग				
ई-४	शिक्षा, क्रीड़ा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		३१,६३,००,०००	. . .	३१,६३,००,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	. .	३१,६३,००,०००	. . .	३१,६३,००,०००
		नगर विकास विभाग				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		२,५५,४३,००,०००	. . .	२,५५,४३,००,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	२,५५,४३,००,०००	. . .	२,५५,४३,००,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, वाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		४,२३,००,०३,०००	. . .	४,२३,००,०३,०००

एच-८	लोकनिर्माण कार्य प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२,३४,३२,२८,०००	१,०००	२,३४,३२,२९,०००
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय। . .	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	६,५७,३२,३२,०००	१,०००	६,५७,३२,३३,०००
		जलस्रोत विभाग				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	९,०००	. . .	९,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	९,०००	. . .	९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		विधि तथा न्याय विभाग				
जे-४	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		८,००,००,०००	. . .	८,००,००,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	८,००,००,०००	. . .	८,००,००,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-१०	उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४८७५, अन्य उद्योगों पर पूंजिगत परिव्यय । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	. .	५५,०४,००,०००	. . .	५५,०४,००,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ।	. .	५५,०४,००,०००	. . .	५५,०४,००,०००
		ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग				
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, मार्ग तथा पूलों पर पूंजिगत परिव्यय। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।	. .	३,००,००,००,०००	. . .	३,००,००,००,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	३,००,००,००,०००	. . .	३,००,००,००,०००
		योजना विभाग				
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,९६,८५,००,०००	. . .	१,९६,८५,००,०००

ओ-२५	जिला योजना-नासिक।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
ओ-२९	जिला योजना-नंदुरबार।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
		कुल-योजना विभाग।	. .	१,९६,८५,०२,०००	. . . .	१,९६,८५,०२,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		जनजाति विकास विभाग				
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२,मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३,पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	६०,००,००,०००	. . .	६०,००,००,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	६०,००,००,०००	. . .	६०,००,००,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-६	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज।	२,३६,००,०००	. . .	२,३६,००,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग। . .	२,३६,००,०००	. . .	२,३६,००,०००
		कुल—ख-फूंजीगत लेखे पर व्यय। . .	१६,२८,५२,११,०००	१,०००	१६,२८,५२,१२,०००
		कुलयोग। . .	१,३०,२०,८१,७६,०००	११,३९,३९,०००	१,३०,३२,२१,१५,०००

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2016.

THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ अगस्त, २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIES ACT, 1961.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ सन् २०१६।

(जो की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में, दिनांक ८ अगस्त, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था, कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, १ जून २०१६ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् १९६२ का महा. ५। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १०।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर हैं, अत: भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए।

(२) यह १ जून, २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ९ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है), की धारा ९ की उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ५।

"(२क) यदि, आम निर्वाचन में, पार्षद सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई से कम पार्षद सदस्य निर्वाचित होते हैं, तब, राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचित पार्षद सदस्यों के नाम तथा स्थायी पते प्रकाशित नही करेगा :

सन् २०१६ का महा. ।

परंतु, महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रवृत्त होने से पूर्व, जहाँ पार्षद सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से कम पार्षद सदस्य निर्वाचित होते हैं ; और यदि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित करती है, तब ऐसे उम्मीदवार को पार्षद सदस्य के रूप में दावा करने या बने रहने का हक नहीं होगा :

परंतु आगे यह कि, ऐसे मामले में, राज्य निर्वाचन आयोग, ऐसी **जिला परिषद** का नये से निर्वाचन ले सकेगा ।"।

सन् १९६२ का महा.५ की धारा ५७ मे संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ५७ की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(३क) यदि, आम निर्वाचन में, सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं, तब, राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचित सदस्यों के नाम तथा स्थायी पते प्रकाशित नहीं करेगा :

सन् २०१६ का महा. ।

परंतु, महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रवृत्त होने से पूर्व, जहाँ सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं और यदि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित करती है, तब ऐसे उम्मीदवार को सदस्य के रूप में दावा करने या बने रहने का हक नहीं होगा :

परंतु आगे यह कि, ऐसे मामले में, राज्य निर्वाचन आयोग, ऐसी **पंचायत समिति** का नये से निर्वाचन ले सकेगा ।"।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १०।

४. (१) महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १० का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.